विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/945 दिनांक :- 18-10-2024

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,
उज्जैन।

विषय :- शोध केन्द्र की स्थापना के संबंध में।
सान्दर्भ :- कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शा., सतपुडा भवन से प्राप्त पत्र क्रमांक/1302/205/आउशि/शा-4/24 भोपाल दिनांक 10/10/2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के क्षेत्रान्तर्गत शोध केन्द्र बनाने हेतु संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शोध केन्द्र हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

संलग्न :- (1) शोध केन्द्र हेतु आवेदन पत्र
(2) शोध केन्द्र नियमावली

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/946 दिनांक :- 18-10-2024

प्रतिलिपि :-

01. अतिरिक्त संचालक, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
02. प्रभारी आनलाईल सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. माननीय कुलगुरूजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

–:: कार्यविवरण ::–

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/306,दिनांक 24.05.2024 के द्वारा भारत का राज पत्र असाधारण भाग III– खण्ड 4,नई दिल्ली 07 नवम्बर 2022, के बिन्दु क्रमांक 12 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में शोध केन्द्र बनाने बाबत् निर्धारित मापदण्ड अद्यतन किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 27.08.2024 को कुलगुरूजी के कक्ष में आयोजित की गई, बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

01.	डॉ.शैलेन्द्र कुमार शर्मा	– कुलानुशासक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन	– अध्यक्ष
02.	डॉ.संदीप कुमार तिवारी	– विभागाध्यक्ष, गणित अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन	– सदस्य
03.	डॉ. एस.के. मिश्रा	– विभागाध्यक्ष,अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन	– सदस्य
04.	डॉ.कामरान सुल्तान	– आचार्य,पं.ज.ने. व्यवसाय प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन	– सदस्य

<u>समिति के सम्माननीय सदस्यों द्वारा निम्नानुसार अनुशंसा की गई</u> :–

विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में शोध केन्द्र के संचालन/मान्यता प्रदान करने संबंधी नियम को अपडेट किये जाने हेतु बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल से शोध केन्द्र बनाने हेतु दिशा निर्देश समिति की बैठक दिनांक 27.02.2013 जो कि,बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2013(पद क्रं.13/02/33) में अनुशंसित/संशोधित मापदण्ड को विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन की विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.02.2017 (निर्णय क्रमांक 13) में अंगीकृत किया गया है, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गजट नोटिफिकेशन के भाग III-खण्ड 4 को भी लागू किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

01. पीएच.डी. कार्यक्रमों को प्रस्तुत/मान्यता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक अनुसंधान, प्रशासनिक और अवसंरचनात्मक अपेक्षाऐं :–
    (1) वे स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो 4-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और / या स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाते है,पीएच.डी. कार्यक्रम चला सकते है। बशर्ते, वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों,अपेक्षित अवसंरचना तथा सहायक प्रशासनिक और अनुसंधान सुविधाओं की उपलब्धता को,सुनिश्चित करते हों।
    (2) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित वे महाविद्यालय और शोध संस्थान जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है, पीएच.डी. कार्यक्रम की पेशकश कर सकेंगे,बशर्ते कि उनके पास :–
        I- एक महाविद्यालय में कम से कम दो संकाय सदस्य या शोध संस्थान में दो पीएच.डी. उपाधि धारक वैज्ञानिक होने चाहिए।
        II- उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक सहायकता, अनुसंधान सुविधाएं और पुस्तकालय संसाधन की व्यवस्था हो।

02. विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों को उन विषयों में शोध केन्द्र बनाये जा सकते है जिनमें चार वर्षीय स्नातक और/या स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन–अध्यापन की सुविधा उपलब्ध हो तथा नवीन शिक्षा नीति के मापदण्डानुसार चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम संचालित हो रहे है।

03. स्थाई सम्बद्धता प्राप्त स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालयों को उन विषयों के लिए शोध केन्द्र की मान्यता दी जा सकती है, जिनमें चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और/या स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन की स्वीकृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो तथा ऐसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय जहाँ नवीन शिक्षा नीति के मापदण्डानुसार चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम संचालित हो रहे है।

04. स्थायी सम्बद्धता प्राप्त स्नातकोत्तर अशासकीय/निजी महाविद्यालयों को उन विषय में शोध केन्द्र बनाया जा सकता है जिनमें चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और/या स्नातकोत्तर स्तर पर संबंधित विषयों के अध्यापन की स्वीकृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो तथा ऐसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय जहाँ नवीन शिक्षा नीति के मापदण्डानुसार चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम संचालित हो रहे है।

05. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित उच्च शिक्षा संस्थान,शोध संस्थान आदि को उन विषयों में शोध केन्द्र की मान्यता दी जा सकती है जिनमें संबंधित विषय में शोध की पर्याप्त सुविधा के साथ –साथ विषय विशेषज्ञ भी उपलब्ध हों।

कृ.पृ.उ.

06. शोध केन्द्र में विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों, अपेक्षित अवसंरचना, प्रशासनिक और अनुसंधान सुविधाओं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही मान्यता दी जा सकती है।

07. शोध केन्द्र बनाने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा एक समिति के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय/संस्था का निरीक्षण कर प्रतिवेदन स्थायी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ रखना उचित होगा।
निरीक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य प्रस्तावित है :-

01.	कुलपतिजी द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर	– अध्यक्ष
02.	संबंधित संकाय अध्यक्ष	– सदस्य
03.	संबंधित अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष	– सदस्य
04.	कुलपतिजी द्वारा नामांकित एक बाह्य विषय विशेषज्ञ	– सदस्य

08. उपर्युक्त दिशा निर्देश पूर्व से मान्यता प्राप्त शोध केन्द्रों पर भी लागू होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर निरीक्षण समिति के माध्यम से प्रचलित शोध केन्द्रों का निरीक्षण करना उचित होगा।

09. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक पॉच वर्ष के पश्चात अथवा आश्यकतानुसार शोध केन्द्रों का निरीक्षण किया जाना उचित होगा।

10. संबंधित संस्था/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने के पश्चात निरीक्षण समिति गठित की जायेगी।

11. केन्द्रीय नियामक संस्थाएं जैसे ए.आई.सी.टी.ई/एम.सी.आई/एन.सी.टी.ई.आदि के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को अनुमति प्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शोध केन्द्र को मान्यता दी जा सकती है जहॉ उक्त पाठ्यक्रम न्यूनतम 7 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं।

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

सम्बद्धता आवेदन-पत्र

क्रमांक .....

प्रति,

कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

☐ नवीन महाविद्यालय
☐ नवीन पाठ्यक्रम
☐ अतिरिक्त विषय
☐ स्थायी सम्बद्धता
(प्रत्येक बिन्दु के लिए पृथक-पृथक आवेदन करें एवं सही निशान लगाऐं)

महोदय,

मैं प्राचार्य,.....महाविद्यालय.....में विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन के अन्तर्गत कला/वाणिज्य/विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/जीवविज्ञान/चिकित्सा/शिक्षा/विधि/अन्य .... संकाय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर (कक्षा.....)निम्नांकित विषयों में सत्र ..... से सम्बद्धता हेतु प्रार्थना करता हूँ।

(उक्त विषयों के नाम जिनकी सम्बद्धता हेतु प्रार्थना की गई है।)

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

(5) .....

समस्त वांछित विवरण अनुवर्ती पृष्ठों में दिया गया है।

विश्वविद्यालय के प्रावधान द्वारा विहित सम्बद्धता शुल्क रू. .....(शब्दों में रू. ....) शुल्क आई.डी. नम्बर .....दिनांक ..... द्वारा एम.पी.ऑनलाईन से भुगतान किया जा चुका है। जिसकी पावती संलग्न है।

1. महाविद्यालय का विवरण :-
   (क) महाविद्यालय का नाम .....
   (ख) समिति का नाम एवं पता .....
   (ग) महाविद्यालय के स्थापना की तिथि .....
   (घ) महाविद्यालय का पूर्ण पता .....
   (ड) दूरभाष क्रमांक, कार्यालय .....
   (च) प्राचार्य का नाम एवं निवास स्थान का पता तथा दूरभाष क्रमांक .....
   .....
   (छ) महाविद्यालय का गतवर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न है .....
2. महाविद्यालयों की सम्बद्धता हेतु अनुमति। (पत्र संलग्न करें)
   (क) उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल की अनुमति है/नहीं।(पत्र संलग्न करें)
   पत्र क्रं.....दिनांक..... वर्ष.....
   (ख) अखिल भारतीय परिषद् की अनुमति (AICTE,NCTE,BCI,NCI,MCI, इत्यादि) है/नहीं।
   (पत्र संलग्न करें)
   पत्र क्रं.....दिनांक..... वर्ष.....

निरंतर...02

3. महाविद्यालय में वांछित कक्षाएँ प्रारम्भ करने की मांग का समुचित कारण :-

.....

.....

4. क्या नगर में कोई अन्य संस्था पहले से है जिसमें इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त वांछित कक्षाएँ चल रही? यदि हों तो उसकी महाविद्यालय से दूरी तथा संस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करें .....

.....

.....

5. (क) महाविद्यालय के भवन का क्षेत्रफल एवं बनावट .....

(ख) सभा मण्डपों,व्याख्यान कक्षों,पुस्तकालय,प्रयोगशालाओं.....

तथा कार्यालय आदि कक्षों की संख्या एवं आकार .....

(ग) छात्रावास के कमरों तथा सार्वजनिक कक्षों की संख्या एवं आकार .....

(घ) शिक्षक आवासगृह एवं क्वार्टर्स की संख्या एवं आकार .....

(ड) महाविद्यालय का भवन किराये का है/निजी .....

6. खेल के मैदान, कक्ष तथा व्यायामशाला आदि का विवरण .....

7. उपस्कर(फर्नीचर) आदि का विवरण :- .....

(क) व्याख्यान कक्षों में कुर्सी, टेबलों की संख्या.....

(ख) पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यालय आदि में उपस्कर (फर्नीचर) और साज-सज्जा का विवरण .....

.....

(परिशिष्ट क्रं. .....)

8. पुस्तकालय की सुविधा :-

(क) महाविद्यालय के पुस्तकालय में सम्बद्धता के लिये वांछित विषयों की पुस्तकों की संख्या (कृपया सूची संलग्न करें) (100 पुस्तकें प्रति विषय)

.....

(ख) वांछित विषयों में प्रस्तावित पुस्तकों का कुल मूल्य .....

(ग) महाविद्यालयों में मँगायी जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं की संख्या व मूल्य .....

(घ) क्या पुस्तकालय में प्रवेश सबके लिए सुलभ है? पुस्तकालय शुल्क आदि की जानकारी :- .....

.....

9. शोध कार्य की सुविधा का विवरण(यदि हो) .....

10. जिन विषयों के लिये सम्बद्धता प्रार्थित है उनमें विद्यार्थियों की आवेदित संख्या.....

11. (अ) विद्यार्थियों के मनोरंजन, शारीरिक प्रशिक्षण, सामाजिक कार्य संबंधी गतिविधियों एवं अनुशासन का पूरा विवरण दिया जाए :-

.....

.....

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिन कक्षाओं तथा विषयों को प्रारम्भ करने हेतु सम्बद्धता प्रदान की गई हो, उसका पत्र क्रं. ..... दिनांक .....(फोटो कॉपी संलग्न करें)

(स) विगत सत्र में प्रदान की गई सम्बद्धता पत्र में इंगित की गई कमियों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन संलग्न करें।

12.(I) सम्बद्धता हेतु प्रार्थित पाठ्यक्रम विषयों के लिए वर्तमान एवं प्रस्तावित अध्यापक मण्डल :-

(शासकीय महाविद्यालयों हेतु) कार्यारत अध्यापक मण्डल (महाविद्यालय के बजट के अनुसार)

विषय	अध्यापक का नाम	पद एवं आयु	शैक्षणिक योग्यता श्रेणी सहित एवं अनुभव	वर्तमान वेतनमान तथा वेतनमान

निरंतर...03

(II) सम्बद्धता हेतु पाठ्यक्रम/विषयों के लिए वर्तमान एवं प्रस्तावित अध्यापक मण्डल (यु.जी.सी. द्वारा निर्धारित योगयता एवं वेतनमान के अनुसार) परिनियम 28 के अनुसार चयनित/चयन किया जाना है।

विषय	अध्यापक का नाम	पद एवं आयु	शैक्षणिक योगयता श्रेणी सहित एवं अनुभव	वर्तमान वेतनमान तथा वेतनमान

13.(अ) अध्यापक मण्डल के लिए सुविधाएँ :-

(क) अध्यापकों की सेवा शर्ते ....

(ख) भविष्य निधि राशि में अभिदाता तथा महाविद्यालय के अंशदान की दर अथवा सेवा निवृत्ति वेतन सुविधा ....

(ग) अध्यापकों के अवकाश संबंधी नियम ....

(घ) शिक्षकों के लिए आवासगृहों की सुविधा ....

(ड) शिक्षकों को महाविलय द्वारा दिये जाने वाली अन्य सुविधाओं का विवरण :-

....

(ब) गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ :-

(क) कर्मचारियों की सेवा शर्ते ....

(ख) भविष्य निधि राशि में अभिदाता तथा महाविद्यालय के अंशदान की दर अथवा सेवानिवृत्ति वेतन सुविधा ....

(ग) कर्मचारियों के अवकाश संबंधी नियम..

(घ) कर्मचारियों के लिए आवासगृहों की सुविधा..

(ड) गैर शिक्षकों कर्मचारियों की संख्या,पद वेतनमान (सूची संलग्न करें) ....

(च) कर्मचारियों को महाविलय द्वारा दिये जाने वाली अन्य सुविधाओं का विवरण :-

....

14. महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति तथा आय के साधन :-

(क) विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क (पिछले वर्ष का) ....रूपये..............................

(ख) महाविद्यालयों को प्राप्त शासकीय अनुदान(पिछले वर्ष का)..............................रूपये..............................

(ग) धर्मस्व अथवा सुरक्षित कोष ....रूपये..............................

(घ) आय के अन्य साधन ....रूपये..............................

कुल योग (क,ख,ग,घ)

15. चिकित्सा एवं विज्ञान विषयों के लिये यदि सम्बद्धता प्रार्थित है तो निम्न जानकारी दी जाए :-

(क) चिकित्सा प्रयोगशाला विषयक नियोजित एवं उपलब्ध व्यवस्था का पूर्ण विवरण :-

....

(ख) जिन विषयों के लिये सम्बद्धता प्रार्थित है उनके लिये आवश्यक स्थान प्रत्येक विज्ञान संकाय विषय के प्रयोगशाला तथा संग्रहालय में उपलब्ध उपकरण एवं यांत्रिकी साधन का सम्पूर्ण विवरण ....

....

....

(ग) संस्था के पदाधिकारी की सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें।

संलग्न :- अभिलेखों की संख्या ....(संलग्न किए जाने वाले समस्त अभिलेखों पर महाविद्यालय के प्राचार्य/समिति अध्यक्ष की सील एवं हस्ताखर आवश्यक है।)

भवदीय

सम्पर्क के लिये पूर्ण पता :-

....

....

....

फोन नम्बर :-..............................

(प्राचार्य)

प्राचार्य का नाम ....

महाविद्यालय का नाम..............................

एवं पूर्ण पता तथा ई-मेल आई.डी..............................

(सील)

टीप :-

1. यह सम्बद्धता पत्र 1 **प्रति** में प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदन के साथ **समस्त** आवश्यक अभिलेखों तथा **समस्त सक्षम निकायों की अनुमति** संलग्न करें।
3. सम्बद्धता आवेदन की प्रस्तुति महाविद्यालय को **पाठ्यक्रम संचालन का अधिकार नहीं देती** । बिना सम्बद्धता किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश **न दें**।
4. विद्यार्थियों की की ओवदित संख्या का निर्धारण **विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक **को प्रवेश न दें**।
5. प्रत्येक विषय/कक्षा के लिए पृथक-पृथक आवेदन **करें**।
6. वांछित को ही सही चिन्ह लगाऐं।